न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : चन्द्र प्रकाश वर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 114/2022

1. प्रताप उम्र 70 वर्ष पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. राकेश उम्र 32 वर्ष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. सन्जु उम्र 38 वर्ष पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. सुनिल उम्र 35 वर्ष पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. सुमन उम्र 42 वर्ष पुत्री ख्यालीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
6. सुमित्रा उम्र 60 वर्ष पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।

.....आवेदकगण

बनाम

1. जयकुमार पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
2. रूकमणी पत्नी नन्दलाल जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
3. राकेश पुत्र नन्दलाल जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
4. बनारसी पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं।
5. सरदाराराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी हमीरी खुर्द तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।
6. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं ।

अप्रार्थीगण

वकील आवेदक – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अनावेदकगण–श्री महेश जाखड़

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 व 111 आर.एल.एक्ट 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी

निर्णय

दिनांक 19.06.2024

संक्षेप में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम हमीरी खुर्द पटवार हल्का हमीरी कला की सरहद में आराजी ख.न. 95 रकबा 0.18 हैक्टर भूमि आवेदक संख्या 1 की तथा भूमि ख.न. 331/95 रकबा 0.18 हैक्टर भूमि आवेदक संख्या 2 लगायत 6 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। अनावेदक संख्या 1 व अनावेदक नं. 2 लगायत 6 के मध्य सीमा बाबत कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार भूमि ख.न. 323/95 रकबा 1.24 हैक्टर भूमि अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 4 तथा भूमि ख.नं. 54 रकबा 2.06 हैक्टर भूमि अनावेदक संख्या 5 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जो आवेदकगण के पड़ौसी खातेदार काश्तकार हैं। यह कि आवेदकगण अपनी खातेदारी

एंव काश्तकारी की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल को बचाने एंव अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवाना चाहते है जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थरगढी करवायी जानी न्याय संगत है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि का सीमाज्ञान दिनाकं 22.06.2022 को तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमाकं 536,537 दिनांकित 13.06.2022 की पालना में पटवार हल्का हमीरी कला द्वारा करवाया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान की फर्द दिनांकित 22.06.2022 रूबरू मौतबिरानों के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार की गयी। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगड्डी भी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 22.06.2022 करवाना चाहता है जो किया जाना न्यायोचित भी है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमि की फर्द सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2022 के मुताबिक पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अनावेदक संख्या 1,2,4 की ओरसे एडवोकेट महेश जाखड़ ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 बाद तामील अनुपस्थित। अनावेदकगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाबदेही पूर्ण होने के उपरान्त बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता आवेदक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 22.06.2022 के पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। आवेदक के प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। आवेदक ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार मलसीसर से दिनांक 22.06.2022 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया है जिसकी सत्य प्रतिलिपि पत्रावली में सलंग्न है। आवेदक अपनी खातेदारी काश्तकारी की भूमि पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी करवाना चाहता है जो न्यायसंगत है। तमाम तथ्यों, दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्ता के प्रकाश में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है। ग्राम हमीरी खुर्द पटवार हल्का हमीरी कलां स्थित भूमि ख0न0 95, 331/95 कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 है0 भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगड्डी का आदेश दिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्र प्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर